संख्या–1806/9–आ–3–2004–42 वि/99

प्रेषक,

जे. एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2004

विषय : *मल्टीप्लैक्स के निर्माण हेतु निर्धारित मानको में आवश्यक परिष्कार।*

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4218/9–आ–3–99–42 वि./99 दिनांक 12–12–2000 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शाशनादेश के प्रस्तर–2 (V) में मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 24 मीटर निर्धारित की गयी है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि मल्टीप्लैक्स के निर्णण हेतु पहुँच मार्ग को न्यूनतम चौड़ाई 24 मी. निर्धारित करने के कारण ऐसे स्थलों पर जिन पर मार्ग की चौड़ाई 24 मी. से कम है, मल्टीप्लेक्स का निर्माण स्वीकृत करने में कठिनाई आ रही है। इसके दृष्टिगत यह अनुरोध किया गया है कि मल्टीप्लैक्स 18 मी. चौड़े पहुँच मार्ग पर भी उस दशा में अनुमन्य करने पर विचार किया जाए जब प्रश्नगत भूखण्ड इस प्रकार स्थित हो कि पहुँच मार्ग के दूसरी ओर यातायात उत्पन्न करने वाले कोई क्रियाकलाप न तो विद्यमान हों और न भविष्य में ऐसे कोई क्रियाकलाप प्रस्तावित होने की सम्भावना हो जिससे अतिरिक्त यातायात उत्पन्न हो सकें।

2. इस सम्बन्ध से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–4218/9–आ–3–99–42वि./ 99 दिनांक 14.12.2000 के प्रस्तर–2 (V) में तत्काल प्रभाव से निम्न संशोधन किए जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :–

''परन्तु मार्ग जिस पर प्रश्नगत भूखण्ड स्थित है, के दूसरी ओर एक छोर (जंक्शन) से दूसरे छोर (जंक्शन) तक वर्तमान में ऐसे क्रिया–कलापों यथा हरित पट्टिका जलाशय, पार्क एवं नदी आदि भू–उपयोग विद्यमान हों, जिनसे यातायात उत्पन्न होने की संभावना न हो एवं भविष्य में ऐसे कोई क्रिया–कलाप प्रस्तावित न हो जिनसे यातायात उत्पन्न होने की संभावना हो तो ऐसी दशा में मल्टप्म्लैक्स 24 मीटर चौड़े मार्ग के स्थान पर 18 मीटर चौड़े पहुंच मार्ग पर भी अनुमन्य होगा।''

यह भी स्पष्ट करना है कि संदर्भित शासनादेश दिनांक 14.12.2000 में निर्धारित पहुंच मार्ग को न्यूनतम चौड़ाई 24 मी. उक्त विशिष्ट रूप से स्थित स्थलों को छोड़कर मल्टीप्लेक्स के अन्य प्रकरणों पर यथाव लागू रहेगी।

3. कृपया शासनादेश संख्या 4218/9–आ–3–99–42 वि./99, दिनांक 14–12–2000 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए एवं मल्टीप्लैक्स के निर्माण की अनुज्ञा प्रदान करते समय तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। शासनादेश दिनांक 14–12–2000 को शेष शर्त यथावत् रहेगी।

भवदीय

(जे. एस. मिश्र)

सचिव

संख्या–1806 (1)/9–आ–3–2004–42 वि./99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र संख्या–49/व. नि. (1)/यू. पी. रडको/03–04, दिनांक 24–2–04 के क्रम में सूचनार्थ।
8. अपर निदेशक नियोजक आवास बन्धु का इस निर्देश के साथ कि भवन उपविधि 2000 में उक्त संशोधन समायोजित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रामवृक्ष प्रसाद)

विशेष सचिव

प्रतिलिपि समस्त विनियोजित क्षेत्रों के नियंत्रक प्राधिकारियों/नियत प्राधिकारियों को उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।